न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः— 12/12/2023 रजू दिनांकः 16.01.2023 रजि0 न0 2023/21

अपीलार्थीः—	प्रत्यर्थीः—
श्री प्रतापसिंह अधिवक्ता, कोर्ट कैम्पस बहरोड़, तहसील बहरोड़, जिला अलवर 301701 (राजस्थान)	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 27.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 30.11.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/458 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि प्रा0पत्र दिनांक 09.01.2023 में वर्णित प्रथम आवेदन दिनांक 30.11.2022 में वांछित सूचना के संबंध में संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त करने पर अति0 कलक्टर (प्रथम) एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापन) कलक्ट्रेट अलवर के पत्रांक स्था./आर.टी.आई./2022/118 दिनांक 05.01.2023 से प्राप्त बिन्दुवार सूचना, कार्यालय के पत्रांक लो.सू.अ./RTI/2022/96 दिनांक 10.01.2023 के माध्यम से विधिक विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब एंव उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)